भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

असम में बाढ़ राहत और पुनर्वास

1616. श्री गौरव गोगोईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में बाढ़ राहत और पुनर्वास उपायों के लिए केन्दीय बजट 2024 में आवंटित निधियों के उपयोग की स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान असम के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) असम में बाढ़ की चेतावनी देने और लोगों को उस स्थान को खाली कराने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बाढ़ को रोकने और इसकी तैयारी संबंधी प्रयासों में भाग लेने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार उनके निपटान पर पहले से रखी गई राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। गंभीर प्रकृति की आपदा, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल है, के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5858.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि जारी की है। इसमें इस वर्ष के दौरान असम को दिए गए 716 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय द्वारा 11वीं और 12वीं योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन (एफएमपी) लागू किया गया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमबीएपी योजना को मंजूरी दी है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान असम राज्य को जारी वर्षवार केंद्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
2019-20	85.03
2020-21	-
2021-22	14.80
2022-23	248.65
2023-24	7.20
कुल	**355.68**

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण के उपायों की आयोजना और एकीकृत कार्यान्वयन तथा इससे जुड़े मामलों के उद्देश्य से 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग जान-माल की क्षति को कम करने और उपयुक्त जलाशय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में 24 घंटे तक के लीड समय के साथ अल्पावधि बाढ़ पूर्वानुमान के साथ-साथ 7 दिवसीय बाढ़ परामर्शी पूर्वानुमानों के साथ दीर्घावधिक पूर्वानुमान जारी करता है। केन्द्रीय जल आयोग असम में 30 स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का अनुरक्षण करता है।

(घ): एनडीएमए ने बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा प्रतिक्रिया में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रत्येक जिले में 200) को प्रशिक्षित करने के लिए असम के कामरूप और जोरहाट जिलों सहित 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 30 सबसे बाढ़ प्रवण जिलों में 2016 से 2021 तक आपदा मित्र नामक पायलट योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को बुनियादी कौशल प्रदान करना है जो उन्हें बाढ़ सहित आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों का को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर, एनडीएमए भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ की संभावना वाले **असम के 16 जिलों के 3900 स्वयंसेवकों सहित** 350 जिलों को कवर करने वाली आपदा प्रतिक्रिया में 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2021-22 से 2024-25 तक आपदा मित्र योजना को अपस्केलिंग लागू कर रहा है ताकि उन्हें एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके और प्रत्येक चयनित जिले को एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, बक्सा (200), बारपेटा (300), कछार (300), दरांग (200), धुबरी (300), डिब्रूगढ़ (300), दीमा हसाओ (100), हैलाकांडी (200), करीमगंज (300), कोकराझार (200), मोरीगांव (200), नगांव (300), नलबाड़ी (200), शिवसागर (300), तिनसुकिया (300), और उदलगुड़ी (200) सहित असम के जिलों के 3900 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया था और असम द्वारा ईईआरआर खरीदा गया था।

एनडीएमए ने अब एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बी एस एंड जी (असम के 16 जिलों से 9174 सहित) के 2,37,326 स्वयंसेवकों को भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त सभी राज्यों (315 जिलों) को कवर करने वाली आपदा प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना शुरू की है ताकि उन्हें एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके।

असम में लक्षित स्वयंसेवकों के साथ कवर किए गए जिले बक्सा (420), बारपेटा (700), कछार (610), दरांग (460), धुबरी (700), डिब्रूगढ़ (750), दीमा हसाओ (210), हैलाकांडी (410), करीमगंज (800), कोकराझार (516), मोरीगांव (500), नगांव (793), नलबाड़ी (475), शिवसागर (630), तिनसुकिया (750), और उदलगुड़ी (450) हैं।

*****